संख्या- 168/2024/430/35-4-2024/35-4099/299/2021

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ,

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक : 29 मार्च, 2024

विषय: जनपद मेरठ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-मेरठ में शासनादेश संख्या- 420/2021/2296/35-4-2021 दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 01 कार्य की रू0 2357.76 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 293/2022/1001/35-4-2022/001-35-4099-299-2021, दिनांक 30 अगस्त, 2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में 539.44 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। शासनादेश संख्या-786/2023/2313/35-4-2023/35-4099/299/2021 दिनांक 05 सितम्बर, 2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 589.44 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार अद्यतन कुल धनराशि रू0-1178.88 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

जिलाधिकारी मेरठ का पत्रांक- 722/त्व0आ0वि0/2021-22 दिनांक 15.01.2024 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए अवशेष धनराशि की मांग की गई है। एतद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में अवशेष धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 589.44 (रूपये पांच करोड़ नवासी लाख चौवालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्निलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
मेरठ शहर में छतरी पीर से घण्टाघर किशनपुर होते हुये ओडियन नाले तक मार्ग के चौड़ीकरण	2357.76	1178.88	589.44

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का कार्य			

1- परियोजना की गुणवत्ता मानक अनुरूप सुनिश्चित हो रही है, इसे क्वालिटी टेस्ट के मानको पर परीक्षण किया जा रहा है, यह सुनिश्चित कर लिया जाये। अब तक के हुए कार्यों की लैब रिपोर्ट और विभागीय अधिकारियों का निरीक्षण मानकों के अनुरूप हो रहा है, यह भी देखा जाये। परियोजना की वित्तीय और तकनीकी प्रकृति के दृष्टिगत अपेक्षित है कि अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण हो। अत: अब तक इनके द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट भी देखी जाये। यदि इन्होने कोई निरीक्षण रिपोर्ट नहीं बनाई अथवा निरीक्षण नहीं किया है तो इनके नियमित निरीक्षण का रोस्टर जारी कर इसका अनुश्रवण अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

2- परियोजना पर आगे धन व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि हो चुके कार्य पर हुआ अतिक्रमण प्रभावी रूप से हटा लिया जाये और इसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाने के साथ ही होने वाले कार्य पर भी पूर्व से ही यह सुनिश्चित कर लिया जाये की कोई अतिक्रमण न हो |

3- उर्पयुक्त बिन्दुओं(1 व 2) के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर स्पष्ट आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 9.12.2021, 30.08.2022, एवं 05.09.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

5- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

6- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

7- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

8- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

10- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 589.44 लाख (रूपये पांच करोड़ नवासी लाख चौवालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04- जिला तथा अन्य सड़कें, 337- सड़क निर्माण कार्य, 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना, 0304- शहरी क्षेत्रों में सड़को के सुधार के लिये एक मुश्त व्यवस्था, 24- वृहद निर्माण कार्य की मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-168/2024/430/35-4-2024/35-4099/299/2021/तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल।
8- विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियंता (विकास) लोक निर्माण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मेरठ।
13- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।